(70)

संख्या–4569 / II–2012–03(12) / 2010, टी0सी0

प्रेषक,

आर0सी0 लोहनी,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
यमुना कालोनी, देहरादून।

सिंचाई अनुभाग देहरादून : दिनांक 10 जनवरी, 2012

विषय : **अनुसूचित जाति उपयोजना (एस0सी0एस0पी0) के अन्तर्गत नहर निर्माण की योजनाओं में धनावंटन–राज्य सैक्टर।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रसंख्या 126 / मुअवि / बजट / बी–1 सामान्य दिनांक 11.01.2012 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सिंचाई विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2011–12 में आयोजनागत मद के अनुदान सं0 30 के अन्तर्गत स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान में नहर निर्माण की निम्नलिखित चालू योजना हेतु ₹ 36.16 लाख (₹ छत्तीस लाख सोलह हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु उल्लिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना की लागत	वित्तीय वर्ष 2011–12 के माह 12/2011 तक कुल व्यय	अवशेष धनराशि	आवंटित की जा रही शेष धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	जनपद देहरादून के डोईवाला वि0ख0 में अनुसूचित बाहुल्य बड़कोट क्षेत्र की 3.40 कि0मी0 पुरानी गूलों के पुनरोद्धार एवं 9.76 कि0मी0 नई पक्की गूलों के निर्माण की योजना।	151.16	115.00	36.16	36.16

1. उपरोक्तानुसार योजनाओं में योजनावार अवमुक्त की जा रही धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
2. सम्बन्धित धनराशि का व्यय केवल चालू कार्यों के बिरूद्ध ही किया जाय, व्यय केवल उन्हीं योजनाओं के अन्तर्गत किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति जारी की जा रही है तथा जिन योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
3. धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति एवं कार्यो के प्राक्कलन सक्षम अधिकारी से अवश्य स्वीकृत करा लिये जाय।
4. धनराशि का आहरण व व्यय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किस्तों में किया जायेगा।
5. उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 तथा शासन द्वारा मितव्यंयता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।

क्रमशः......2

6. स्वीकृत धनराशि का खण्डवार विभाजन/फॉट मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा, जिसका विवरण शासन को भी उपलब्ध कराया जायेगा।
7. जहॉ आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय तथा कार्यों के सम्बन्ध में यथोचित भूकम्प निरोधी तकनीकी का प्रयोग किया जाय।
8. मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक उत्तराखण्ड राज्य सरकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।
9. कार्य की समयबद्धता एवं गुणवता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
10. त्रैमासिक रूप से कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं व्यय विवरण शासन को यथासमय उपलब्ध करा दिया।
11. धनराशि आहरण सी0सी0एल0 हेतु निर्धारित नियमान्तर्गत ही किया जायेगा।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक की अनुदान सं0–30 के आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4700–मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 06–निर्माणाधीन सिंचाई नहरें 800–अन्य व्यय 02–24–वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के पत्र संख्या 209/XXVII(1)/2011, दिनांक 31 मार्च, 2011 में दिये गये निर्देशों के अनुसार जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(आर0सी0 लोहनी)
संयुक्त सचिव

संख्या–4569(1)/ ।।–2012–03(12)/2010, टी0सी0, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 सिंचाई मंत्री, सिंचाई को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
4. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. समाज कल्याण विभाग, नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
6. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
8. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
9. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0एस0 टोलिया)
अनु सचिव